<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 4 मई, 2021 को सायं 06.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त</u>

परिशिष्ट

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 04.05.2021 की बैठक के कार्यवृत्त में **अनजाने में** हुई **टंकण संबंधी त्रुटि** सामने आई है।

90 दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों के लिए मानदंड सं. **(xi)** में की गई सिफारिश जो कि दिनांक 04.05.2021 की बैठक के कार्यवृत्त में पेज न. 16 पर **आइटम न. 4** शीर्षक **जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जा सकने वाले व्यक्तियों के** <u>वर्ग/श्रेणी</u> **का निर्धारण करने के लिए जेल और दिल्ली में वर्तमान स्थिति का जायजा लेना में** वर्णित है।

यह अनजाने में **छः महीने** के स्थान पर **छः साल** का उल्लेख किया गया है।

यह संशोधित कर दिया गया है।

संशोधित मानदंड सं. **(xi)** को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

> **(xi)** वे विचाराधीन कैदी (जिनका मृतक के साथ ससुर, सास, देवर, ननद के रूप में संबंध थां) जो धारा **304 बी आईपीसी** के अंतर्गत मुकदमें का सामना कर रहें है, **छः महीने से अधिक** से जेल में है और वे किसी **अन्य केस में सम्मिलित नही** है।

इस परिशिष्ट के साथ बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर की प्रत्याशा में सभी संबंधितों के द्वारा लागू किया जाएगा।

संदीप गोयल
महानिदेशक (जेल)

श्री बी.एस. भल्ला
प्रधान सचिव (गृह)

कंवलजीत अरोड़ा
सदस्य सचिव
डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए